भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 563
जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है
आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

563. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत चल रही है तथा उनकी स्थिति अपूर्ण/प्रगति पर है;

(ख) चालू वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन और अपूर्ण/निर्माणाधीन राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं और उनमें हुई मौतों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार अनुरक्षण और मरम्मत के दौर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों, अपूर्ण/निर्माणाधीन खंडों, विशेषकर प्रकाश व्यवस्था/प्रकाश की सुविधाओं और सुरक्षा संकेतों पर दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने और उनका प्रबंधन करने के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करती है और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अनुरक्षण और मरम्मत के दौर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा नयाचारों की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। निर्माणाधीन परियोजनाओं और डीएलपी/संचालन अवधि के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में एनएच खंडों का रखरखाव संबंधित ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा किया जाता है। रखरखाव कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी)/अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी), विशेष मरम्मत कार्य आदि के तहत अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों में किए जाते हैं जो न तो निर्माणाधीन हैं और न ही अनुबंध/रियायत समझौते के डीएलपी/संचालन अवधि के अंतर्गत हैं। आंध्र प्रदेश में 55 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई 8683 किमी है।

आंध्र प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग या तो निर्माणाधीन हैं या दोष देयता अवधि (डीएलपी)/संचालन अवधि के अंतर्गत हैं या पीबीएमसी/एसटीएमसी/विशेष मरम्मत (एसआर) के माध्यम से रखरखाव के अधीन हैं। वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या निम्नानुसार हैः-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या
2018	8122	2929
2019	7682	3114
2020	7167	2858
2021	8241	3602
2022	8650	3793

(ग) और (घ) सरकार ने सड़क चिह्नों, साइनेज, क्रैश बैरियर, उभरे हुए फुटपाथ मार्कर, डिलीनेटर्स, अनधिकृत मध्य भाग को बंद करने, यातायात कम करने के उपायों आदि जैसे तत्काल अल्पकालिक उपायों के साथ-साथ सड़क ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे के स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास के निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपायों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो या तो चल रहे विकास / रखरखाव कार्यों के हिस्से के रूप में या एकल परियोजनाओं के रूप में दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, डिजाइन, निर्माण, पूर्व-प्रारंभण और संचालन चरण में आंध्र प्रदेश सहित सभी एनएच के नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं । सभी एनएच पर इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। सरकार ने उन खंडों में पीबीएमसी/ एसटीएमसी भी शुरू किया है जहां कोई कार्य नहीं चल रहा है इसके अलावा, नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन द्वारा राजमार्गों के सुधार और प्राथमिकता रखरखाव के लिए फुटपाथ की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाता है।

*****